

विषय : सिटी थाना प्रभारी डबरा के समक्ष प्रार्थी के लिखित आवेदन दिनांक 29/08/2022 में मेरे स्व. दादाजी श्री शिव सिंह सिसोदिया की फर्जी एवं बनावटी वसीयत के नोटरीकर्ता ए. के. श्रोत्रिय पर प्रकरण दर्ज ना किया जाना, राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की हैंडराइटिंग वसीयत पर हस्ताक्षर मिलान के लिए ना भेजा जाना, वसीयत पर मानचित्रकार श्यामबाबू वर्मा के कथन ना लिए जाना, यूको बैंक शाखा डबरा पर हुए मेरे स्व. दादाजी के नाम से हुए फर्जी विड्रॉल की जांच ना किया जाना।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि सिटी थाना डबरा के अपराध क्रमांक 567/2022 में मुझ फरियादी द्वारा जांच सहयोग की भावना से श्रीमान थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी के समक्ष दिनांक 29/08/2022 को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उल्लेखित बिंदुओं पर श्रीमान के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमान थाना प्रभारी एवं स्थानीय पुलिस विभाग अपराधियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय उनकी जमानत होने का इंतजार करते हैं। लिखित निवेदन में मेरे द्वारा प्रदर्शित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं।

1. महोदय निवेदन है कि नोटरी एडवोकेट ए. के. श्रोत्रिय को प्रकरण में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि उनके पूर्व के कथन अनुसार मेरे दादाजी उनके पास दिनांक 04/10/2018 को दिन में 02:35 पर वसीयत की नोटरी करवाने के उद्देश्य से साक्षीगणों के साथ उपस्थित हुए थे जबकि जांच शाखा के अभिमत के अनुसार नोटरी की गई वसीयत पर मेरे दादाजी शिव सिंह सिसोदिया के हस्ताक्षर नहीं हैं अतः ऐसे में नोटरी एडवोकेट के समक्ष मेरे दादाजी के स्थान पर किसी और व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी वसीयत की नोटरी की गई है, फर्जी वसीयत पर नोटरी के संबंध में नोटरी एडवोकेट ए. के. श्रोत्रिय को भी प्रकरण में सम्मिलित किया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को जानकारी भी दी गई है कि उक्त फर्जी एवं बनावटी वसीयत जिसमें तीसरे पेज पर मानचित्र संलग्न है जो मानचित्रकार श्यामबाबू वर्मा द्वारा संपादित किया गया है, के कथन भी लेखबद्ध कराए जाएं, जिससे तथ्य का पता चलेगा कि मेरे दादाजी ने ही यह मानचित्र श्री श्यामबाबू वर्मा से संपादित करवाया है या किसी और के कहने पर इसे श्री वर्मा द्वारा संपादित किया गया है। परंतु आज दिनांक तक मानचित्रकार श्यामबाबू वर्मा के बयानों को लेखबद्ध नहीं किया गया है जबकि ऐसा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3. आरोपी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की हैंडराइटिंग को वसीयत के हस्ताक्षर मिलान के उद्देश्य से जल्द से जल्द जांच शाखा में जांच हेतु भेज दिया जाए, यह फर्जी एवं बनावटी पुलिस द्वारा राजेन्द्र सिंह सिसोदिया से ही थाने में जप्त की गई है और वसीयत में उल्लेखित है कि घर के सारे दस्तावेज एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज राजेन्द्र सिंह सिसोदिया के कब्जे में हैं, यथा संभव है कि ऐसा कृत्य उनके द्वारा ही किया गया हो, राजेन्द्र सिंह से मेरे दादाजी की विवादित भूमि की मूल रजिस्ट्री भी जप्त की जाए, विवादित होने की दशा में उक्त रजिस्ट्री एवं अन्य सभी दस्तावेजों को भी न्यायालय में जप्त कर पेश करना अति आवश्यक होगा।

4. भोपाल जांच शाखा के अभिमत के आधार पर मेरे स्व. दादाजी के यूको बैंक अकाउंट से वर्ष 2018 एवं उसके उपरांत फर्जी विड्राल किए गए हैं एवं ऐसा किया जाना जांच रिपोर्ट में सत्यापित हुआ है परंतु इस संबंध में भी आज दिनांक तक ना तो बैंक पर कोई कार्यवाही की गई है और न किसी प्रकार की पूछताछ की गई है, कृपया कर बैंक से भी इस संबंध में पूछताछ की जावे एवं कृत्य संदिग्ध होने पर बैंक पर भी प्रकरण दर्ज किया जावे, यथासंभव हो, बैंक से वीडियो फुटेज निकलवाए जाएं एवं समस्त आरोपियों की काल डीटेल निकलवाई जावे।

महोदय निवेदन है कि उपरोक्त समस्त बिंदु अपराध सुलझाने में बहुत अहम बिंदु हैं जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा नजरंदाज किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है परंतु विभाग द्वारा आरोपियों पर पूर्ण सहानुभूति दिखाई जा रही है नोटरीकर्ता ए. के. श्रोत्रिय पर इन्हीं धाराओं में सीटी थाना डबरा पर एक अन्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है परंतु थाना प्रभारी महोदय मेरे प्रकरण में उन्हें पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं, कृपया कर कार्यवाही जल्द से जल्द करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जावे।

प्रार्थी

जितेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया  
निवासी कमलेश्वर कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियर  
मोबा. - 9886589340